भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3103

20.03.2023 को उत्तर के लिए

हाथीदांत का अतर्राष्ट्रीय व्यापार

3103. श्री दुष्यंत सिंह:

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नामीबिया के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हाथीदांत के नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की हाथीदांत के विद्यमान भंडार के संबंध में क्या रणनीति है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक विभिन्न वन विभागों के पास राज्य-वार कितना हाथीदांत भंडार में हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार शिकारियों/व्यापारियों से कितनी राशि के हाथीदांत जब्त किए गए तथा मृत हाथियों से कितने हाथीदांत निकाले गए; और

(ड.) हाथीदांत भंडार के संरक्षण तथा इसकी चोरी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.) : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ख के तहत भारत में हाथी दांत का व्यापार प्रतिबंधित है। वन्यजीव का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। राज्य के वन विभागों द्वारा रखे गए हाथी दांत के भंडार का विवरण मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

वन्य जीव अपराध ब्यूरो के पास उपलब्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान शिकारियों/व्यापरियों से जब्त किए गए हाथी दांत का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	जब्त किए गए हाथी दांत की मात्रा
2018	77.146 कि.ग्रा. प्राकृतिक हाथीदांत और हाथी के दांत से बनी 21 कलाकृतियां
2019	47.133 कि.ग्रा. प्राकृतिक हाथीदांत और हाथी के दांत से बनी 126 कलाकृतियां
2020	32.39 कि.ग्रा. प्राकृतिक हाथीदांत और हाथी के दांत से बनी 32 कलाकृतियां
2121	212.972 कि.ग्रा. प्राकृतिक हाथीदांत और हाथी के दांत से बनी 87 कलाकृतियां
2022	105.89 कि.ग्रा. प्राकृतिक हाथीदांत और हाथी के दांत से बनी 119 कलाकृतियां

****